फ़खरुद्दीन

बनाम

प्राचार्य, चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान और अन्य

मई 10, 1995

[आर. एम. सहाय और एस. बी. मजुमदार, न्यायमूर्तिगण]

न्यायिक औचित्य- एक पीठ द्वारा निर्णित विनिर्दिष्ट आदेश याचिका- न्यायाधीशों में से एक अपनी पदोन्नति से पहले विपक्षी दल का आधिवक्ता था- इस तथ्य को इंगित किए जाने के बाद भी उसने मामले का निर्णय करना चुना- संस्था के लिए न तो उचित और न ही स्वस्थ- मामले का गुण-दोष अप्रासंगिक है- किसी अन्य पीठ को संदर्भित किया जाना चाहिए था- आदेश अपास्त किया गया और मामला उच्च न्यायालय को वापस भेजा गया।

इस अपील में, विवाद चकबंदी कार्यवाही में 'चक' के आवंटन से संबंधित था। हालांकि, विवाद में स्वामित्व का कोई प्रश्न नहीं उठा। उच्च न्यायालय ने विनिर्दिष्ट आदेश याचिका खारिज कर दी। अतः यह अपील।

अपील का निपटान करते हुए और उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए, इस न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. विवाद चकबंदी कार्यवाही में 'चक' के आवंटन से संबंधित था। इस तरह के विवाद में स्वामित्व का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अत: उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभिक चरण में ही विनिर्दिष्ट आदेश याचिका खारिज करने के आदेश पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। लेकिन जिस बात ने इस न्यायालय को उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए विवश किया है, वह यह है कि इसका निर्णय एक पीठ द्वारा किया गया था जिसके

न्यायाधीशों में से एक अपनी पदोन्नति से पहले उत्तरदाताओं के लिए आधिवक्ता था। ऐसा कभी-कभी हो सकता है कि एक न्यायाधीश जो अपनी पदोन्नति से पहले एक पक्षकार के लिए उपस्थित हुआ हो, वह इसके बारे में भूल गया हो। ऐसे आदेश की अनभिज्ञता में पारित एक आदेश पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जहां इस बात को विशेष रूप से बताया गया था, और न्यायाधीश को इसकी जानकारी दी गई थी, फिर भी उन्होंने मामले का फैसला करना चुना, तो न्यायाधीश के साथ ऐसा करना न तो उचित है और न ही संस्था के लिए स्वस्थ है। निर्णय का परिणाम अप्रासंगिक है। हो सकता है कि मामले की सुनवाई करने वाली एक अन्य पीठ उसी निष्कर्ष पर पहुँची हो। [390-एच, 391-ए-सी]

2. आदेश की सत्यता या असत्यता महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि न्याय की भावना, और वह सार्वजनिक दृष्टि जिसमें न्यायाधीश हर क्षण उपस्थित रहता है, अधिक महत्वपूर्ण है। किसी मामले का निर्णय किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन किसी पक्ष की ओर से उपस्थित न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय, चाहे मामला कितना भी गंभीर क्यों न हो, परिणाम और प्रभाव सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, मामले की गुण-दोष के बावजूद, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाता है और मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाता है ताकि वह विधि के अनुसार गुणों के आधार पर इस पर नए सिरे से निर्णय ले सके। इस आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी पक्षों के अधिकारों का निर्णय नहीं मानी जाएगी।[391-डी-ई]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1995 की दीवानी अपील सं. 5791।

पटना उच्च न्यायालय के सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 4498/1990 में दिनांक 2.11.90 के निर्णय और आदेश से।

एच.एल. श्रीवास्तव, एस.एम. राय, बी.एम. शर्मा और टी.एन. सिंह अपीलकर्ता के लिए।

बी.बी. सिंह उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया:

अनुमति प्रदान की गई।

न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि किया गया दिखना भी चाहिए। यह वह मूल संरचना है जिस पर संस्था में विश्वास और आस्था टिकी हुई है। पदानुक्रम में तल से लेकर शीर्ष पर शिखर तक न्यायपालिका अपनी निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता के कारण सम्मान प्राप्त करती है। जब एक न्यायाधीश किसी मामले को किसी अन्य न्यायालय या पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश देता है, क्योंकि वह एक या अन्य पक्षकार को जानता है, तो यह इसलिए नहीं है कि कोई वैधानिक कानून उसे इसकी सुनवाई और निर्णय करने से रोकती है, बल्कि औचित्य का अभ्यास किया जाता है और देखा जाता है ताकि न्यायाधीश की निष्पक्षता के बारे में किसी भी गलतफहमी या संदेह की दूरतम संभावना को भी बाहर किया जा सके क्योंकि भले ही वह न्यायपूर्ण और उचित हो और उसका निर्णय सही हो, फिर भी यह संतोषजनक नहीं हो सकता है।

इस मामले में जो कुछ हुआ वह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि इसे और बढ़ाने के लिए विद्वान न्यायाधीश ने, जब उन्हें सूचित किया गया कि वह बार में थे तब वह उत्तरदाता के लिए आधिवक्ता थे, उस न्यूनतम मानदंड का भी पालन नहीं किया जिसकी अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों से भी पालन किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

विवाद चकबंदी कार्यवाही में 'चक' के आवंटन से संबंधित था। इस तरह के विवाद में स्वामित्व का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अत: उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभिक चरण में ही विनिर्दिष्ट आदेश याचिका खारिज करने के आदेश पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। लेकिन जिस

बात ने हमें उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए विवश किया है, वह यह है कि इसका निर्णय एक पीठ द्वारा किया गया था जिसके न्यायाधीशों में से एक अपनी पदोन्नति से पहले उत्तरदाताओं के लिए आधिवक्ता था। ऐसा कभी-कभी हो सकता है कि एक न्यायाधीश जो अपनी पदोन्नति से पहले एक पक्षकार के लिए उपस्थित हुआ हो, वह इसके बारे में भूल गया हो। ऐसे तथ्यात्मक आदेश की अनभिज्ञता में पारित एक आदेश पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जहाँ इसे विशेष रूप से इंगित किया गया था, जैसा कि विशेष अनुमति याचिका में दावा किया गया है, कि विद्वान न्यायाधीश को इसकी सूचना दी गई थी और फिर भी उसने मामले का निर्णय करना चुना, यह न तो उचित है और न ही संस्था के लिए स्वस्थ है। निर्णय का परिणाम अप्रासंगिक है। हो सकता है कि मामले की सुनवाई करने वाली एक अन्य पीठ उसी निष्कर्ष पर पहुँची हो। वास्तव में यह न्यायालय 'चकों' के आवंटन से संबंधित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर सकता था लेकिन यह आदेश की शुद्धता या अन्यथा नहीं है, बल्कि न्याय की भावना, सार्वजनिक दृष्टि जिसमें न्यायाधीश हर क्षण उपस्थित रहता है, अधिक महत्वपूर्ण है। एक मामले का निर्णय एक या अन्य तरीके से एक व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन एक न्यायाधीश द्वारा एक निर्णय जिसने दांव, परिणाम और परिणामों के बावजूद पक्षकारों में से एक के लिए उपस्थित किया था, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व का है। इसलिए, मामले के गुण-दोष के बावजूद हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हैं और मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेजते हैं। इस आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी पक्षों के अधिकारों का निर्णय नहीं मानी जाएगी।

अपील का निपटान तदनुसार किया जाता है। कोई लागत नहीं।

जी.एन. अपील का निपटान किया गया।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।